निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 श्रावण 1938 (श0)

(सं0 पटना 632) पटना, सोमवार, 1 अगस्त 2016

सं0 08/आरोप–01–33/2014,सा०प्र०—8318

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

9 जून 2016

श्री नरेन्द्र मोहन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–753/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद के विरूद्ध वर्ष 2011 में ओबरा प्रखंड के पंचायत निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–16235, दिनांक 08.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1545, दिनांक 09.07.2015 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–5094, दिनांक 06.04.2016 द्वारा श्री झा से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण–पृच्छा) की माँग की गयी। श्री झा ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित करते हुए प्रमाणित आरोपों पर बचाव बयान प्रस्तुत किया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा के स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत निम्न तथ्य पाया गया :–

(i) **आरोप सं० – 01** – पोलिंग एवं पेट्रोलिंग पार्टी के योगदान तथा नियुक्ति पत्र वितरण की व्यवस्था असंतोषजनक पाये जाने में निहित आंशिक रूप से लापरवाही/उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री झा ने अपना बचाव बयान प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि उनके द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती गयी बल्कि तत्समय प्रतिनियुक्त कुछ पदाधिकारियों द्वारा त्वारित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण कुछ देर के लिए अफरा–तफरी का माहौल बना, जिसे उन्होंने ससमय नियंत्रित कर लिया तथा सभी कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो गये।

यद्यपि श्री झा ने उपर्युक्त तथ्यों के द्वारा स्वयं पर लगाये गये आरोपों का प्रतिकार किया है, तथापि निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्य के योगदान तथा नियुक्ति पत्र वितरण में अव्यवस्था/अफरा–तफरी का माहौल होने के तथ्य को स्वीकार किया है। अतएव संचालन पदाधिकारी का अभिमत स्वीकार योग्य है तथा उक्त आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(ii) **आरोप सं० – 05 –** राज्य निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निदेश के बावजूद निर्वाचन कर्मियों के लिए आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध नहीं कराये जाने में निहित आंशिक रूप से लापरवाही/उदासीनता के प्रमाणित आरोपों के संबंध में श्री झा ने अपना बचाव बयान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वे मतदान के तीन दिन पूर्व से ही ओबरा प्रखंड में कैम्प कर मतदान कर्मियों तथा पदाधिकारियों के लिए यथा संभव सुविधा मुहैया कराने हेतु कार्य कर रहे थे। परन्तु ओबरा प्रखंड के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों को जिला स्तर से विलम्ब से नियुक्ति पत्र दिये जाने एवं एक ही समय में उनके प्रखंड में पहुँच जाने के कारण कुछ देर के लिए अव्यवस्था/अफरा–तफरी का माहौल बना जिसे उन्होंने ससमय नियंत्रित कर लिया तथा सभी कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न हो गये।

यद्यपि श्री झा ने उपर्युक्त तथ्यों के द्वारा स्वयं पर लगाये गये आरोपों का प्रतिकार किया है तथापि निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निदेश के बावजूद मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं होने एवं निर्वाचन कार्य को गम्भीरता से नहीं लिये जाने की पुष्टि होती है।

4. अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्री नरेन्द्र मोहन झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–753/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, जहानाबाद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 में प्रावधानित निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(क) निन्दन (आरोप वर्ष 2011–12 के प्रभाव से),

(ख) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

केशव कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 632-571+10-डी०टी०पी०।

Website: http://egazette.bih.nic.in